हिन्दी अकादमी, दिल्ली
(कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार)
समुदाय भवन, पदम नगर, किशनगंज, दिल्ली–110007
दूरभाष : 8 0 7 6 8 2 4 6 5 9
ई–मेल पता : **hindiacademydelhi@gmail.com, hindiacademy.publication@gmail.com**

प्रकाशन सहयोग योजना : 2023–2024

आवेदन–प्रपत्र

1. पाण्डुलिपि का नाम .....
2. विधा .....
3. लेखक/लेखिका का नाम .....
4. पिता/पति का नाम .....
5. शिक्षा .....
6. जन्मतिथि/जन्म स्थान .....
7. भाषा ज्ञान .....
8. व्यवसाय/संप्रति .....
9. स्थायी पता .....
   .....
10. पत्र व्यवहार का पता .....
    .....
    .....
11. दूरभाष (मोबाइल/आवास/कार्यालय) .....
    .....
12. निवास प्रमाण–पत्र/अवधि (राशनकार्ड, आधार कार्ड अथवा मतदान पहचान पत्र की फोटोस्टेट प्रति ही मान्य) .....
13. पुरस्कार/सम्मान .....

हस्ताक्षर.....

लेखक का नाम .....

.....

हिन्दी अकादमी, दिल्ली

प्रकाशन सहयोग योजना : 2023–2024

पाण्डुलिपि की मौलिकता तथा अप्रकाशित होने का शपथ–पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी..... प्रमाणित करता/करती हूं कि प्रकाशन सहयोग योजना 2023–24 के अंतर्गत अनुदान के विचारार्थ मेरे द्वारा प्रस्तुत ..... नामक पाण्डुलिपि पूर्णतया मौलिक एवं अप्रकाशित है। यह न तो अनूदित, रूपांतरित, संपादित अथवा संकलित है और न ही शोध–ग्रंथ है। मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि प्रस्तुत पाण्डुलिपि पुस्तक आकार रूप में अप्रकाशित है।

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिया गया विवरण पूर्णतः सही है।

हस्ताक्षर .....

लेखक का नाम .....

पता .....

.....

.....

.....

हिन्दी अकादमी, दिल्ली
(कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार)
समुदाय भवन, पदम नगर, किशनगंज, दिल्ली–110007
दूरभाष : 8 0 7 6 8 2 4 6 5 9
ई–मेल पता : **hindiacademydelhi@gmail.com,**
hindiacademy.publication@gmail.com

प्रकाशन सहयोग योजना 2023–24

नियमावली

1. केवल दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लेखकों की मौलिक अप्रकाशित पाण्डुलिपियों पर ही विचार किया जायेगा, शोध प्रबंध, अनूदित, काव्य रूपांतरित, संपादित अथवा संकलित पांडुलिपियों पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. पिछले तीन वर्षों का दिल्ली में रहने का आवास/निवास प्रमाण–पत्र (राशनकार्ड/आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र की छायांकित प्रति) अनिवार्य है।
3. प्रकाशन सहयोग का उद्देश्य नवोदित लेखकों (प्रतिभाओं) को प्रोत्साहन देना है। अतः नवोदित लेखकों, जिन्हें अकादमी से अभी तक कोई आर्थिक सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी पांडुलिपियों पर आर्थिक सहयोग देने में प्राथमिकता दी जाएगी।
4. इस योजना के अंतर्गत लेखक को यदि पूर्व में सहयोग राशि जारी की गई है तो लेखक इस योजना में तीन वर्ष के बाद आवेदन कर सकता है।
5. परिवर्तित नियम के अनुसार इस योजना के अंतर्गत अब किसी भी आयु के रचनाकारों की पांडुलिपियों पर विचार किया जा सकेगा।
6. पाण्डुलिपि की एक सजिल्द प्रति स्वच्छ टाइप या हस्तलिखित पढ़ने योग्य, विषय अनुक्रमणिका, पृष्ठांकन एवं हार्ड बाइंडिंग सहित अकादमी के कार्यालय में जमा करायी जा सकती है। जिसमें लेखक के नाम का उल्लेख केवल मुखपृष्ठ पर हो। स्पाइरल बाईंडिंग स्वीकार्य नहीं है। सामान्य पुस्तक के रूप में लगभग 125 पृष्ठ की पांडुलिपियां ही विचारणीय होंगी।
7. एक लेखक की केवल एक ही पाण्डुलिपि स्वीकार्य होगी। अकादमी के कार्यालय में जमा कराई जाने वाली पाण्डुलिपि की एक अतिरिक्त प्रति लेखक के पास रहनी अनिवार्य है।
8. पाण्डुलिपि हिन्दी भाषा और साहित्य से संबंधित किसी भी विधा या विषय की हो सकती है। एक बार जमा कराने के उपरांत पाण्डुलिपि की सामग्री में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
9. सभी प्राप्त पाण्डुलिपियों पर इस संबंध में गठित अकादमी की समिति द्वारा जांच करके निर्णय लिया जायेगा। समिति द्वारा अनुमोदित पाण्डुलिपियों के लिए अधिकतम 30 पांडुलिपियों पर प्रकाशन सहायता राशि दी जायेगी।

10. यदि प्रकाशित पुस्तक की सामग्री जमा की गई पांडुलिपि की सामग्री से भिन्न होगी तो उस स्थिति में अकादमी द्वारा सहयोग राशि नहीं दी जायेगी।
11. स्वीकृत पांडुलिपि के प्रकाशनार्थ अकादमी के निर्णय और नियमों के अंतर्गत 25,000/– रुपए की प्रकाशन सहयोग राशि के एवज में संबंधित कृति के रचनाकार को 25 प्रतिशत की छूट देने के पश्चात् 25,000/–रुपये की मूल्य की पुस्तकें अकादमी द्वारा निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अनिवार्य रूप से जमा करनी होंगी। पुस्तकें (तीन प्रतियों में बिल सहित) प्राप्त होने के उपरांत ही सहयोग राशि निर्गत की जा सकेगी।
12. यदि कोई लेखक निर्णय की प्रतीक्षा न करके अपनी पांडुलिपि पहले ही लेना चाहता है तो उसे यह अधिकार होगा।
13. जिन रचनाकारों की अभी तक एक भी कृति प्रकाशित न हुई हो और उनकी पाण्डुलिपि में प्रतिपादित विषय स्तरीय होगा तो उनको प्राथमिकता दी जायेगी।
14. पाण्डुलिपियां सुपाठ्य हों तथा उनमें वर्तनी की अशुद्धियां न हों।
15. पाण्डुलिपि का प्रतिपादित विषय मौलिक तथा प्रस्तुतिकरण स्तरीय और कलात्मक होना चाहिए। अनुदान के विचारार्थ जमा की गई पाण्डुलिपि के लिए अन्य किसी भी सरकारी संस्थान से अनुदान न लिया गया हो।
16. जो पाण्डुलिपियां नैतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय संदर्भों में उपयोगी होंगी, उन्हें प्रकाशन सहयोग में प्राथमिकता दी जायेगी।
17. जिन लेखकों की पाण्डुलिपियों को प्रकाशन सहयोग प्रदान करने की सिफारिश नहीं होती है, उनके रचनाकार अकादमी द्वारा निर्धारित अवधि के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप में अथवा प्राधिकृत पत्र के द्वारा अनिवार्य रूप से अपनी पांडुलिपि वापस प्राप्त कर लें। निर्धारित अवधि के उपरांत पाण्डुलिपि को लौटाये जाने के लिए अकादमी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
18. अकादमी के शलाका एवं साहित्यकार सम्मान से सम्मानित साहित्यकारों की पांडुलिपियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
19. इस नियमावली में आवश्यक या अपेक्षित परिवर्तनों/संशोधनों/समावेशों आदि के लिए अकादमी का अधिकार सुरक्षित होगा।
20. इस संबंध में अकादमी का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

दिल्ली सरकार

Art Culture & Languages

हिन्दी अकादमी, दिल्ली

(कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार)
समुदाय भवन, पदम नगर, किशनगंज, दिल्ली-110007
ई-मेल: hindiacademydelhi@gmail.com,
hindiacademy.publication@gmail.com

प्रकाशन सहयोग योजना
2023-2024

हिन्दी भाषा और साहित्य सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपर्युक्त योजना के अंतर्गत हिन्दी अकादमी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के रचनाकारों से साहित्यिक, सामाजिक और राष्ट्रीय संदर्भ में उपयोगी पांडुलिपियां प्रकाशनार्थ आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए आमंत्रित हैं।

नियम :

* इस योजना के अंतर्गत शोध प्रबंध, रूपांतरित, संपादित अथवा संकलित की गयी पांडुलिपियां स्वीकार्य नहीं होंगी, केवल सृजनात्मक लेखन के प्रकाशन हेतु सहयोग दिया जाएगा।
* इस योजना के अंतर्गत लेखक को यदि पूर्व में सहयोग राशि जारी की गई है तो लेखक इस योजना में तीन वर्ष के बाद आवेदन कर सकता है।
* परिवर्तित नियम के अनुसार इस योजना के अंतर्गत अब किसी भी आयु के रचनाकारों की पांडुलिपियों पर विचार किया जा सकेगा।
* प्रकाशन सहयोग योजना का उद्देश्य नवोदित लेखकों को प्रोत्साहन देना है। अत: नवोदित लेखकों, जिन्हें अकादमी से अभी तक कोई आर्थिक सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है, यदि उनकी रचना मानदंडों पर खरी उतरती है तो उनकी रचनाओं पर प्राथमिकता से विचार किया जायेगा।
* एक लेखक की केवल एक ही पांडुलिपि स्वीकार्य होगी। पुस्तक के रूप में लगभग 125 पृष्ठ की पांडुलिपि ही विचारणीय होगी।
* पांडुलिपि टंकित या स्वच्छ हस्तलिखित एवं सजिल्द हो जिसमें लेखक के नाम का उल्लेख केवल मुखपृष्ठ पर हो। कार्बन-प्रति तथा फोटोस्टेट प्रति स्वीकार्य नहीं होगी।
* पांडुलिपि निर्धारित प्रपत्र, आवास प्रमाण-पत्र, मौलिक रचना का प्रमाण पत्र तथा पुस्तकाकार में अप्रकाशित होने के प्रमाण पत्र सहित ही ली जायेगी।
* इस योजना के अंतर्गत लेखक को 25,000/-पच्चीस हजार रुपये का सहयोग जारी किया जायेगा।
* सहयोग राशि जारी करने से पूर्व लेखक को 25,000/-रुपये की पुस्तकें 25 प्रतिशत कटौती करके हिन्दी अकादमी के कार्यालय में जमा करनी होंगी।

इस संबंध में नियमावली एवं आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अकादमी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्रात: 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा अकादमी की वेबसाइट hindiacademy.delhi.gov.in से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस विज्ञापन के प्रकाशन होने के 30 दिन के अंदर पांडुलिपि अकादमी कार्यालय में जमा करा सकते हैं।

हस्ता./-संजय कुमार गर्ग
सचिव

DIP/ Shabdarth/Classified/0246/23-24